न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 113/16 निर्णय दिनांकः 10.09.2018

1. वासुदेव सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति राजपूत निवासी किशनपुरा हाल चक 14 केपीडी तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. हरेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी किशनपुरा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. विरेन्द्र सिंह पुत्र फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी लूणखा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 29—08—2016
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितिः—

1. श्री धन्नेसिंह राठौड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 29—08—2016 जिसके द्वारा अपीलांट की प्रथम वरियता होते हुए भी वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम)1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि चक 14 केपीडी के मुरब्बा नम्बर 99/05 की 24 बीघा भूमि के लिए अपीलाट, रेस्पोडेन्ट्स ने विशेष आवंटन में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर दिनांक 29—08—2016 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों पर करीब 11 वर्ष उपरान्त रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर रेस्पोडेन्ट की प्रथम वरियता मानते हुए बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के मनमर्जी तरीके से उक्त आवेदित भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटन कर दी गई। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व न तो अपीलांट का कोई नोटिस प्रदान किया गया ना ही अन्य आवेदकों को कोई सूचना, नोटिस अथव सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनों ही एक ही चक के निवासी है। प्रकरण में अदालत मातहत रेस्पोडेन्ट के धारण में 7.13 बीघा भूमि मानते हुए प्रथम वरियता कायम की गई तथा वादगत् 24 बीघा भूमि का आवंटन आदेश जारी कर दिया गया। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मात्र 9 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत द्वारा कानून के विरूद्व जाकर मांग से अधिक भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति में रखा जाकर पात्रता व वरियता निर्धारित करते हुए आवंटन किया जाना होता है। वादगत् भूमि के आवांटन हेतु अपीलांट का भी आवेदन था। इसलिए आराजी जैर के आवंटन की प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है। जिसे अनदेखा कर अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर का आवंटन

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे व प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि सभी आवेदकों को सुनवाई व अवसर प्रदान करते हुए प्राथमिकता के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो व प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के उपरान्त भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने की स्थिति में दिनांक 21—08—2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वर्ष 1999 व अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा वर्ष 2007 में वादगत् भूमि चक 14 केपीडी के मुरब्बा नम्बर 99/05 में 24 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अलावा अन्य आवेदक वासुदेव सिंह पुत्र दलीप सिंह व विरेन्द्र सिंह पुत्र फतेह सिंह आदि ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखे थे।

अदालत मातहत द्वारा सभी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जॉच करते हुए नियमानुसार उनके धारण की भूमि की समीक्षा करते हुए तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया। उक्त तुलनात्मक विवरण में पाया गया कि रेस्पोडेन्ट के धारण में अन्य आवदकों की तुलना में कम भूमि है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के आवंटन का पात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मानते हुए अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को चक 14 केपीडी के मुरब्बा नम्बर 99/05 की 24 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि इस आधार पर आवंटित की गई कि आराजी जैर रकबाराज दर्ज रिकार्ड व निर्विवाद उपलब्ध है। अतः आवंटन का पात्र घोषित किया जाता है।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन आदेश की पालना में आवंटन पत्र जारी किया जा चुका है व रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन राशि जमा करवाई जा चुकी है। जहॉ तक अपीलांट के प्रार्थना पत्र का प्रश्न है अपीलांट अन्य भूमि आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया को अपनाये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को आराजी जैर चक 14 केपीडी के मुरब्बा नम्बर 99/05 रकबा 24 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन प्रथम वरियता मानते हुए किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व सभी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों व उनके धारण में निहित भूमि के आधार पर तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया। उक्त तुलनात्मक विवरण में प्रथम वरियता हरेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह जिसके धारण में

7.13 बीघा कमाण्ड भूमि, वासुदेव सिंह पुत्र दलीप सिंह जिसके धारण में 10.00 बीघा कमाण्ड भूमि व विरेन्द्र सिंह पुत्र फतेह सिंह के धारण में 0. 13 बीघा भूमि दर्शातें हुए रेस्पोडेन्ट हरेन्द्र सिंह पुत्र नारायणसिंह को वादगत् भूमि के आवंटन का पात्र मानते हुए वादगत् भूमि चक 14 केपीडी के मुरब्बा नम्बर 99/05 की 24 बीघा भूमि का विशेष आवंटन किया गया है।

(3) अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट को इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 13(ए) के अध्यधीन अन्य प्रस्तावित भूमि चक 9 एसएलडी के मुरब्बा नम्बर 71/11 की 23 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि इस आधार पर आवंटित की गई कि आराजी जैर रकबाराज दर्ज रिकार्ड व निर्विवाद उपलब्ध है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आदेश जैर अपील की पालना में निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है।

(4) प्रस्तुत मामलें में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट व अन्य आवेदकों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे साबित है कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य आवेदकों को किसी प्रकार का कोई नोटिस व सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

(5) प्रकरण में यह भी महत्वपूर्ण है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादगत् भूमि चक 14 केपीडी के मुरब्बा नम्बर 9/05 में 9 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जबकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र व मांग के अतिरिक्त अर्थात 9 बीघा भूमि के स्थान पर 24 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। उक्त आवंटन में अदालत मातहत द्वारा यह भी अभिलिखित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवेदन वर्ष 1999 का है तथा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का आवेदन वर्ष 2007 का है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवेदन

पहले का मानते हुए अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बिना नोटिस अथवा सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये आदेश जैर अपील पारित करते हुए वादगत् भूमि का आवंटर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

(6) प्रस्तुत मामलें में अदालत मातहत को चाहिए था कि वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व संबंधित तहसीलदार से पक्षकारों के धारण में निहित भूमि की रिपोर्ट प्राप्त करते हुए तुलनात्मक विवरण तैयार करते हुए पक्षकारों को विधिवत नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिवत निर्णय पारित किया जाता। अदालत मातहत द्वारा तमाम कानूनी प्रक्रियाओं को नजर अंदाज करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचानें की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया जाना परिलक्षित होता है। जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायोचित व तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 29—80—2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सभी आवेदकों/पक्षकारों के धारण की भूमि की पुनः जॉच, तुलनात्मक विवरण तैयार करते हुए पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर